

मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वल्लभ भवन,  
मंत्रालय, मध्यप्रदेश

क्रमांक-645/1720/2018/17-2

भोपाल, दिनांक 04/05/2018

प्रति,

01. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
02. समस्त अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
03. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
04. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
05. समस्त संस्था प्रभारी, सिविल अस्पताल, मध्य प्रदेश।
06. समस्त जिला मातृ व बाल स्वास्थ्य अधिकारी (जिला टीकाकरण अधिकारी), म.प्र.।
07. समस्त विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, मध्यप्रदेश।

विषय-मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना 2018 के संबंध में दिशा-निर्देश।

==0==

मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना 2018 (MMPSY) मध्यप्रदेश के समस्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पंजीकृत असंगठित मजदूर महिलाओं के लिये है। इस योजना के तहत पंजीकृत असंगठित मजदूर महिलाओं को प्रसूति की स्थिति में कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण होने वाले आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जायेगी, जिससे माता एवं नवजात शिशु के स्वास्थ्य व पोषण में सुधार हो सके। इस आर्थिक प्रोत्साहन राशि से गर्भवती एवं धात्री माताओं में सकारात्मक स्वास्थ्य व्यवहारों के अनुसरण में सुधार होगा।

01. योजना का नाम-

इस योजना का नाम मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना 2018 होगा।

02. प्रभावशीलता-

यह योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में दिनांक 01/04/2018 से प्रभावशील होगी।

03. मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना का उद्देश्य-

योजना का उद्देश्य उच्च जोखिम गर्भावस्था की शीघ्र पहचान, सुरक्षित प्रसव, गर्भवती एवं शिशु के जन्म उपरान्त टीकाकरण को समुचित बढ़ावा देना, महिलाओं व शिशुओं के स्वास्थ्यवर्धक व्यवहारों के प्रोत्साहन हेतु नकद प्रोत्साहन राशि के प्रावधान से अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है।

04. मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना के लिये पात्रता:-

- 4.1 18 वर्ष से अधिक उम्र की गर्भवती महिला एवं प्रसूतार्ये।
- 4.2 संबंधित महिला पंजीकृत असंगठित कर्मकार होनी चाहिये।
- 4.3 प्रसूति सहायता शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने की स्थिति में ही देय होगी।
- 4.4 प्रसूति सहायता का लाभ अधिकतम 2 जीवित जन्म वाले प्रसव हेतु ही मान्य किया जायेगा।

## 05. मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाला लाभ:-

क्र	किश्त	शर्त	राशि (रु.)
1.	प्रथम किश्त	i. गर्भावस्था के दौरान निर्धारित अवधि में अन्तिम तिमाही तक चिकित्सक/ए.एन.एम. द्वारा 4 प्रसव पूर्व जाँच कराने पर	4000.00
2.	द्वितीय किश्त	i. शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने पर तथा ii. नवजात शिशु का संस्थागत जन्म उपरान्त पंजीयन कराने तथा iii. शिशु को 0 डोज BCG, OPV व HBV टीकाकरण कराने पर	12000.00
<b>कुल राशि</b>			<b>16000.00</b>

## नोट:-

- 5.1. प्रदेश में संचालित भारत सरकार की जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पात्र हितग्राहियों को उक्त योजना में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप अनुदान राशि की उपरोक्त लाभ के अतिरिक्त प्राप्त करने की पात्रता पूर्ववत् रहेगी।
- 5.2. प्रथम गर्भधारण करने पर पात्र हितग्राही को प्रधानमंत्री मातृवृंदना योजना के अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय किश्त की राशि रुपये 3000/- का भुगतान किया जाएगा तथा शेष रुपये 1000/- की राशि का भुगतान पात्र हितग्राही को मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना से किया जाएगा। द्वितीय गर्भधारण करने पर पात्र हितग्राही को प्रथम किश्त की सम्पूर्ण राशि रुपये 4000/- का भुगतान मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना से ही किया जाएगा।
- 5.3. मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना 2018 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली पात्र प्रथम प्रसूता प्रधान मंत्री मातृवृंदना योजना के तहत तृतीय किश्त राशि रुपये 2000/- (शिशु के निर्धारित अवधि में प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण करने पर) प्राप्त करने हेतु पात्र होंगी।
06. मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज व परीक्षण प्रक्रिया:-

आवश्यक दस्तावेज	परीक्षण प्रक्रिया
1. असंगठित महिला मजदूर का पंजीयन कार्ड अथवा उसके द्वारा सूचित पंजीयन क्रमांक।	1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेज के आधार पर।
2. शासकीय स्वास्थ्य संस्था में प्रसव का प्रमाण पत्र (डिस्चार्ज टिकिट)।	2. ANM/चिकित्सक द्वारा प्रमाणित MCP Card में दर्ज प्रविष्टि के आधार पर।
3. अधिकतम 2 जीवित जन्म वाले प्रसव का ANM द्वारा जारी प्रमाण पत्र।	3. श्रम विभाग के पोर्टल -
4. मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड (MCP Card)।	<a href="http://www.shramiksewa.mp.gov.in">www.shramiksewa.mp.gov.in</a>
5. आधार कार्ड की छायाप्रति।	से हितग्राही का सत्यापन।
6. आधार संबद्ध बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति।	
7. उपरोक्त कण्डिका 5.2 का स्व घोषणा पत्र।	



प्रतिलिपि:-

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय, मध्यप्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, मध्य प्रदेश।
5. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
6. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश।
7. मिशन संचालक, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
8. संचालक, वित्त, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
9. समस्त क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
10. समस्त अधीक्षक, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
11. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, मध्यप्रदेश।
12. समस्त जिला लेखा प्रबंधक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
13. समस्त एम.एण्ड.ई., मध्यप्रदेश।



(कवीन्द्र कियावत)

सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग